29

संख्या– / /32/03/XIV–2/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, काशीपुर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 02 अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक मांगे स्वीकृत होने एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम 2012 पारित होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–193/XXVII(I)/2012, दिनांक 30.03.2012, एवं पत्र संख्या–194/ XXVII(I)/2012, दिनांक 30.03.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अधिष्ठान हेतु प्रथम चार माह (01 अप्रैल 2012 से 31 जुलाई 2012) के लिए वचनबद्ध मदों में ₹ 34834 हजार (तीन करोड़ अड़तालीस लाख चौंतीस हजार मात्र) व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

मानक मद संख्या	मानक मद का नाम	धनराशि हजार रू0 में
01	वेतन	19333
03	मंहगाई भत्ता	13333
06	अन्य भत्ते	2000
09	विद्युत देय	50
10	जलकर/जल प्रभाव	1
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
17	किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	67
		34834

(तीन करोड़ अड़तालीस लाख चौंतीस हजार मात्र)

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि निर्वतन पर रखे धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त की जाय। आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण प्रत्येक माह वित्त विभाग को बी.एम.17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर आवंटित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर

आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0–13 पर विलम्बतम 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए तथा आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

4) धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जाये एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता संबधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए।

5) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित धनराशि की सीमा तक ही किया जाए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाए।

6) स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग,गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाए, जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाए।

8) उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–17 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–108–वाणिज्यिक फसले–03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

10) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII (I)/2011, दिनांक 30.03.2012 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्या– 453(1)/32/03/XIV–2/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून।
3– सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार/देहरादून/उधमसिंहनगर।
4– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव।